भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6132
उत्तर दिनांक 01/04/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र

6132. श्री ससिकांत सेंथिल

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, जिसमें रिएक्टर निर्माण, संचालन, ईंधन आपूर्ति अथवा अनुरक्षण सेवाएँ शामिल हैं, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निजी अथवा विदेशी निवेश को सुगम बनाने हेतु परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में किसी संशोधन पर विचार किया जा रहा है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) आपूर्तिकर्ता दायित्व के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा किसी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में निजी संचालकों अथवा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली वित्तीय जिम्मेदारी की सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रणनीतिक और पर्यावरणीय जोखिमों से जुड़े इस क्षेत्र में निजी भागीदारी के विस्तार से पूर्व सुरक्षा, विनियामक तथा वित्तीय जोखिमों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसी भी परमाणु घटना की स्थिति में पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा पर्याप्त मुआवजा तंत्र सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) शांति अधिनियम जिसे दिनांक 21 दिसंबर, 2025 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है, केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्ति और नियामक परिषद के संरक्षा प्राधिकरण के तहत नाभिकीय सुविधा स्थापित करने या नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन, उपयोग और निपटान के लिए गतिविधियां संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति प्रदान करता है। यह अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा और आयनकारी विकिरण के प्रोत्साहन और विकास, नाभिकीय विद्युत उत्पादन तथा अन्य गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए तथा इसके सुरक्षित और संरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

इस अधिनियम में नाभिकीय संस्थापना में किसी नाभिकीय घटना की स्थिति में नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व के प्रावधान भी हैं। शांति अधिनियम में नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व व्यवस्था के अनुरूप है। यह नाभिकीय सुविधा के प्रकार के आधार पर 100 करोड़

से 3000 करोड़ तक नाभिकीय क्षति दायित्व के लिए एक व्यावहारिक और श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करता है। नाभिकीय क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान का मूल सिद्धांत प्रचालक द्वारा सख्त और दोष रहित दायित्व के साथ त्वरित भुगतान है। प्रचालक के दायित्व से अधिक होने पर, भारत सरकार का दायित्व 300 मिलियन एसडीआर तक निर्धारित किया गया है। इस सीमा से अधिक दायित्व की स्थिति में, सरकार पूरक क्षतिपूर्ति अभिसमय जो एक अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है और जिसका भारत पक्षकार है, से सहायता प्राप्त कर सकती है।

(घ) भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16, 17 और 23 के तहत निर्धारित कुछ नियामक और संरक्षा कार्यों को संचालित करने के लिए एक वैधानिक आदेश (एस.ओ. 4772) द्वारा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की स्थापना की है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) को अधिनियम के तहत निर्धारित नियामक और संरक्षा के लिए संरक्षा मानकों को निर्धारित करने और नियमों और विनियमों को तैयार करने का अधिकार प्राप्त है। भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र (एनपीपी) पर्यावरणीय सुरक्षा सहित प्रासंगिक नाभिकीय संरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप स्थल चयन, डिजाइन, निर्माण, कमीशनकृत और प्रचालित किए जाते हैं। एनपीपी में नाभिकीय संरक्षा का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जाता है, जिसे एईआरबी में सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय संरक्षा समीक्षा और एईआरबी द्वारा एनपीपी के समय-समय पर किए जाने वाले नियामक निरीक्षणों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। यदि कोई विचलन देखा जाता है, तो एईआरबी उचित सुधारात्मक / उपचारात्मक उपाय लागू करता है।

हाल ही में संसद द्वारा पारित शांति अधिनियम, 2025 में नाभिकीय क्षेत्र में निजी संस्थाओं की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। एईआरबी का नियामक ढांचा और आवश्यकताएं आमतौर पर स्वतंत्र अस्तित्व की और प्रौद्योगिकी तटस्थ हैं। अतः, किसी भी नाभिकीय विद्युत परियोजना की संरक्षा विनियमन हेतु संबंधित इकाई की (निजी अथवा सार्वजनिक) प्रकृति की परवाह किए बिना, इसी नियामक ढांचे का उपयोग किया जा सकता है।

(ङ) एईआरबी ने लाइसेंसधारी द्वारा नाभिकीय घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। हाल ही में पारित शांति अधिनियम, 2025 के अनुसार, एईआरबी को किसी भी नाभिकीय घटना की तिथि से 15 दिनों के भीतर ऐसी घटनाओं की अधिसूचना के संबंध में अपनी अनुशंसाएं केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

*****